राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– गुडिया

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 157 सन 2018

अनवान :–

1. पवन कुमार पुत्र अमरसिह जाति जाट निवासी 16 जेएसएन तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. अमरसिह पुत्र नत्थुराम जाति जाट साकिन चक 16 जेएसएन तहसील नोहर।
2. दयाराम पुत्र नत्थुराम जाति जाट साकिन चक 16 जेएसएन तहसील नोहर।
3. कृष्णा 4 मैना 5 रामेती पुत्रिया अमरसिह जाति जाट साकिन चक 16 जेएसएन तहसील नोहर ।

5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

6 प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैक शाखा फेफाना

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 09.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 16 जेएसएन के खाता संख्या 3/2 की कुल किता 27 की 5.1500हैक वादी के दादा नत्थुराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता हे।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का मेरे साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया गया है वाद भूमि इनके हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी के दादा नत्थुराम के नाम से दर्ज थी वादी के दादा नत्थुराम के देहान्त होने के बाद वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपने हकों को त्याग किया गया है जिसे प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादीगण ने स्वीकार कर लेने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 3/2 की कुल किता 27 की 5.1500हैक भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जाने हेतु 5000/– अखरे रूपाये पांच हजार का स्टाम्प इजराय आदेश के तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

SZaidi

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत–2018

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

कैम्प कोट–गुडिया

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–गुडिया

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. पवन कुमार पुत्र अमरसिह जाति जाट निवासी 16 जेएसएन तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 अमरसिह पुत्र नत्थुराम जाति जाट साकिन चक 16 जेएसएन तहसील नोहर।

2. दयाराम पुत्र नत्थुराम जाति जाट साकिन चक 16 जेएसएन तहसील नोहर।

3. कृष्णा 4 मैना 5 रामेती पुत्रिया अमरसिह जाति जाट साकिन चक 16 जेएसएन तहसील नोहर ।

7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

8 प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैक शाखा फेफाना

प्रतिवादीगण

।

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 157 सन 2018 निर्णय दिनांक–09.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 3/2 की कुल किता 27 की 5.1500हैक भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाने हेतु 5000/– अखरे रूपाये पांच हजार का स्टाम्प इजराय आदेश के तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–गुडिया